(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

29

प्रकरण कमांक /2013 निगरानी (सागर)

निगरानी – 4264/2018/दमोह/भू.रा

90

लखन लाल साहू (मोदी) पुत्र श्री लटोरी लाल साहू (मोदी), आयु– 48 वर्ष, व्यवसाय– काश्तकारी, निवासी– जवाहर वार्ड तहसील हटा जिला दमोह (म0प्र0)

..........................निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1 इन्द्रपाल पटेल पुत्र शिवचरण पटेल, निवासी: बरखेड़ा कलार, तहसील हटा जिला दमोह (म0प्र0)

2 देवेन्द्र कुमार राय पुत्र हीरालाल राय, निवासी– गॉधी जी वार्ड हटा जिला दमोह (म0प्र0)

3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला दमोह कार्यालय कलेक्ट्रेट दमोह (म0प्र0)

Adv. S.L. Dhakad

दिनांक 9.7.18 को श्री संजीव राज्य कार्यालय अभि. द्वारा प्रस्तुत/

9.7.18

पेशी 7.8.18

.....................रेस्पोडेंट / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 02/07/2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत हटा तहसील हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 48/23/अ–12/17–18 इन्द्रपाल द्वारा सीमाकंन कराये जाने हेतु दिये गये आवेदन पर की गई कार्यवाही से व्यथित होकर प्रस्तुत :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदक ग्राम खेजरा उर्फ खालसा राजस्व निरीक्षक मण्डल हटा तहसील हटा जिला दमोह के पटवारी हल्का कमांक 58 के भूमि सर्वे कमांक 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/2, 12/1, 13/1 एवं 11/1 का भूस्वामी होकर काबिज काश्तकार है तथा राजस्व अभिलेख में भूस्वामी दर्ज है।

2. यह कि, आवेदक द्वारा उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

(16) (2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-4264/2018/दमोह/भू.रा. लखन लाल विरूद्ध इन्द्रपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक लखनलाल की ओर से अभिभाषक श्री संजय अग्रवाल एवं अनावेदक इन्द्रपाल की ओर अभिभाषक श्री एस.एल.धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत हटा तहसील हटा जिला दमोह के सीमांकन आदेश दिनांक 02-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 5. उभय पक्ष अभिभाषक को नोंट कराया जाये । (आर.के. जैन) 30.10.18 सदस्य	